राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा / ग्रुप–2 / 2019 / जी–451 जयपुर, दिनांक : 30.09.2019

आदेश

विभाग के आदेश क्रमांक : प.1(1)चिस्वा / ग्रुप–2 / 2018 / जी–451 दिनांक 19.11.2018 के द्वारा मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा अपील संख्या 2840 / 2018 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2018 की पालना में डा. गुरमीत सिंह, चिकित्सा अधिकारी को पूर्व पदस्थापन स्थान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के अधीन चिकित्सा अधिकारी (लीव रिजर्व) के पद पर कार्यग्रहण करवाये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी, में आंशिक संशोधन करते हुए मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा अपील संख्या 2840 / 2018 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2018 की पालना में विभाग के आदेश दिनांक 03.08.2018 को अपीलार्थी डा. गुरमीत सिंह, चिकित्सा अधिकारी की सीमा तक प्रत्याहरित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर / चित्तौडगढ
5. संबंधित अधिकारी
6. कम्प्यूटर सेल
7. निजी / रक्षित पत्रावली

(नवल बिहारी ढलवाल)
शासन सहायक सचिव